न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 83/2022

1 संतोष देवी पत्नी श्रीराम।
2 बिदामी देवी पत्नी फूलाराम।
3 फूलाराम पुत्र जोखीराम।
4 घीसी देवी पत्नी दुलाराम।
5 राजेश देवी पत्नी मानसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण बंधावाला भोगपालपुरा ग्राम पंचायत डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

1 मामचन्द पुत्र रामदयाल उर्फ दयालाराम।
2 उमराव पुत्र गोरधन (मृतक)।
2/1 चान्दकोर पत्नी उमराव।
2/2 प्यारेलाल पुत्र उमराव।
2/3 कौशल्या देवी पुत्री उमराव।
2/4 सरोज पुत्री उमराव।
2/5 कमलेश पुत्री उमराव।
2/6 माडूराम पुत्र उमराव समस्त जाति जाट निवासी बंधावाला भोगपालपुरा ग्राम पंचायत डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 प्रभुदयाल पुत्र गोरधन।
4 शारदा देवी पत्नी मामचन्द।
5 मानसिंह पुत्र दुलाराम।
6 शांति देवी पुत्री दुलाराम।
7 संजया देवी पुत्री दुलाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर.

8 सुमित्रा देवी पुत्री दुलाराम।
9 सावित्री उर्फ सावती पुत्री दुलाराम समस्त जाति जाट निवासी बंधावाला भोगपालपुरा ग्राम पंचायत डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
10 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
11 पटवार हल्का डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
12 उप पंजियक अधिकारी उप पंजियक कार्यालय नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02.08.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर मुकदमा नम्बर 170/2021 बउनवानी बिदामी देवी बनाम मामचंन्द पीठासीन अधिकारी श्री बृजेश कुमार आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग लाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चुन्नीलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री मेहश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 7.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 170/2021 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स की आराजी भूमि खसरा नम्बर 677 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.7300 हैक्टेयर,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 679 रकबा 1.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 680 रकबा 1.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 887 रकबा 0. 6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल रकबा 9.2100 हैक्टेयर ग्राम बंधावाला भोगपालपुरा (कुआ जोधसिंह वाला) ग्राम पंचायत डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. में अवस्थित है। जिसमें अपीलान्ट संख्या 1 का हिस्सा 1/9 व अपीलान्ट संख्या 2 का हिस्सा 1/36, अपीलान्ट संख्या 3 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/72 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/36 हक हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजी को अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट कदीम से ही शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसके लिये अपीलान्टस ने विधिवत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही गलत रूप से प्रकियात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुये बिना मौके पर तरमीम किये ही तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा गलत रूप से तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव को ही केवल मात्र आधार मानते हुये तथ किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य लिये बिना तथा साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 9/प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 12 के बिना उचित सुनवाई के ही उक्त आलौच्य डिकी दिनांक 02.08.2022 को पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 18.08.2021 को तहसीलदार नीमकाथाना को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर सभी पक्षकारान को सुनकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के सिद्धान्त पर सहमति से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने का निर्देश दिया था तथा साथ लिखा था कि अगर सहमति से बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं हो तो वाद में वर्णित आराजियात का बंटवारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पक्षकारान के बीच अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बट्टा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवाये। बंटवारा प्रस्ताव बनाये जाने से पूर्व सभी पक्षकारान को सचुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प–51/2008/ विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत दिशा निर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्ताव भिजवाये जाने का निर्देश भी दिया था उसके बावजूद भी अपीलान्टस को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा न ही तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा मौके पर जाकर ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया। बल्कि तहसील कार्यालय में बैठे बैठे ही रेस्पोडेन्ट के साथ साजकर गलत रूप से बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया। राजस्व कर्मचारी एवं तहसीलदार नीमकाथाना मौके पर नहीं गये तथा फोरी तौर पर प्रकियात्मक तरीका अपनाते हुये रेस्पोडेन्टस के साथ साज कर उक्त मौका रिपोर्ट वास्तविक मौके स्थिति के विपरीत तैयार की है फर्द मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 682/2 के विभाजन का भी उल्लेख किया है जबकि ऐसा कोई खसरा नम्बर प्रस्तुत वाद में अंकित ही नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त डिकी केवल मात्र तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर ही अंतिम डिकी जारी कर दी जिसमें अपीलान्टस को किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया तथा साथ ही उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 12 को भी नहीं सुना गया तथा बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत जाकर आलौच्य डिकी पारित की गई है। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08. 01.2022 को तैयार किया गया जिसमें अपीलान्टस को न तो सुना तथा न ही उनके बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर ही करवाये। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि तहसीलदार नीमकाथाना उक्त बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना मौके पर गये रेस्पोडेन्टस के साथ मिलकर गलत रूप से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तैयार किया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिकी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से अंकित है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षक चला द्वारा मौके पर उपस्थित रहने हेतु उभयपक्ष को सूचित किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गई है। इस आपत्ति पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय में आपत्ति का निस्तारण करते हुए विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप अंतिम डिकी पारित की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिकी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से अंकित है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षक चला द्वारा मौके पर उपस्थित रहने हेतु उभयपक्ष को सूचित किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गई है। इस आपत्ति पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय में आपत्ति का निस्तारण करते हुए विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप अंतिम डिकी पारित की गई है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि विभाजन विधि सम्मत किया गया है। रास्ते का प्रावधान रखा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर